

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी श्री हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 176/2017

सुशीलकंवर पत्नी अजीतसिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू  
-वादीया

बनाम

1. विक्रमसिंह
2. धीरसिंह
3. रतनसिंह
4. केशरसिंह पुत्रान सज्जनसिंह
5. जीवनकंवर पत्नी सज्जनसिंह (फौत)-नाम हजफ
6. किरणकंवर पत्नी महावीरसिंह
7. कमलकंवर पत्नी भंवरसिंह
8. नरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
9. करणीसिंह
10. बुद्धसिंह
11. चेतनसिंह पुत्रान महावीरसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
12. प्रधान बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल
13. राजस्थान-सरकार जरिये तहसीलदार, नवलगढ

-प्रतिवादीगण

दावा रिकार्ड दुरुस्ती विभाजन व बंटवारा  
निर्णय

निर्णय दिनांक 08.01.2019

वाद वादीया दिनांक 21.05.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2018/3014 दिनांक 28.12.2018 प्रस्तुत किया जाने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में कोई एतराज नही होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भग रहेगा। ग्राम जाखल की भूमि ख.न. 607/1.24, 608/2.25 है0 किता 2 कुल रकबा 3.49 है0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. विक्रमसिंह धीरसिंह रतनसिंह केशरसिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपूत को भूमि ख.न. 607/1.13, है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. किरणकंवर पत्नी महावीरसिंह कमलकंवर पत्नी भंवरसिंह नरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह करणसिंह बुद्धसिंह चेतनसिंह पि. महावीरसिंह जाति राजपूत को भूमि ख.न. 608/1.14 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3. सुशीलकंवर पत्नी अजीतसिंह जाति राजपूत को भूमि ख.न. 608/1/1.05, 607/1/0.09 किता 2 कुल रकबा 1.14 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1 विक्रमसिंह धीरसिंह रतनसिंह केशरसिंह पि० सज्जनसिंह 1/3 किरणकंवर पत्नी महावीरसिंह कमलकंवर पत्नी भंवरसिंह नरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह करणसिंह बुद्धसिंह चेतनसिंह पि० महावीरसिंह 1/3 सुशीलकंवर पत्नी अजीतसिंह 1/3 कौम राजपूत को भूमि ख.न. 607/2/0.02, 608/2/0.06 किता 2 कुल रकबा 0.08 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Handwritten signature)*  
(हवाई सिद्ध प्रमाण)  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ  
हवाई सिंह यादव ( आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : रिकार्ड दुरुस्ती विभाजन व बंटवारा

मुकदमा सं०:- 176/2017 (सुशील कंवर बनाम विक्रमसिंह आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव ( आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी.वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 08.01.2019 के अनुसारवाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भग रहेगा। ग्राम जाखल की भूमि ख.न. 607/1.24, 608/2.25 है0 किता 2 कुल रकबा 3.49 है0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. विक्रमसिंह धीरसिंह रतनसिंह केशरसिंह पिता सज्जनसिंह जाति राजपूत को भूमि ख.न. 607/1.13 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. किरणकंवर पत्नी महावीरसिंह कमलकंवर पत्नी भंवरसिंह नरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह करणसिंह बुद्धसिंह चेतनसिंह पि. महावीरसिंह जाति राजपूत को भूमि ख.न. 608/1.14 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. सुशीलकंवर पत्नी अजीतसिंह जाति राजपूत को भूमि ख.न. 608/1/1.05, 607/1/0.09 किता 2 कुल रकबा 1.14 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. विक्रमसिंह धीरसिंह रतनसिंह केशरसिंह पि0 सज्जनसिंह 1/3 किरणकंवर पत्नी महावीरसिंह कमलकंवर पत्नी भंवरसिंह नरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह करणसिंह बुद्धसिंह चेतनसिंह पि0 महावीरसिंह 1/3 सुशीलकंवर पत्नी अजीतसिंह 1/3 कौम राजपूत को भूमि ख.न. 607/2/0.02, 608/2/0.06 किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जिन.....-..... मुबलिग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करे।  
बसक्ष मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 08 माह 01 सन.2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ  
माहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	08.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	4.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुकमनामा	-	बाबत इजराय हुकमनामा	-
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00